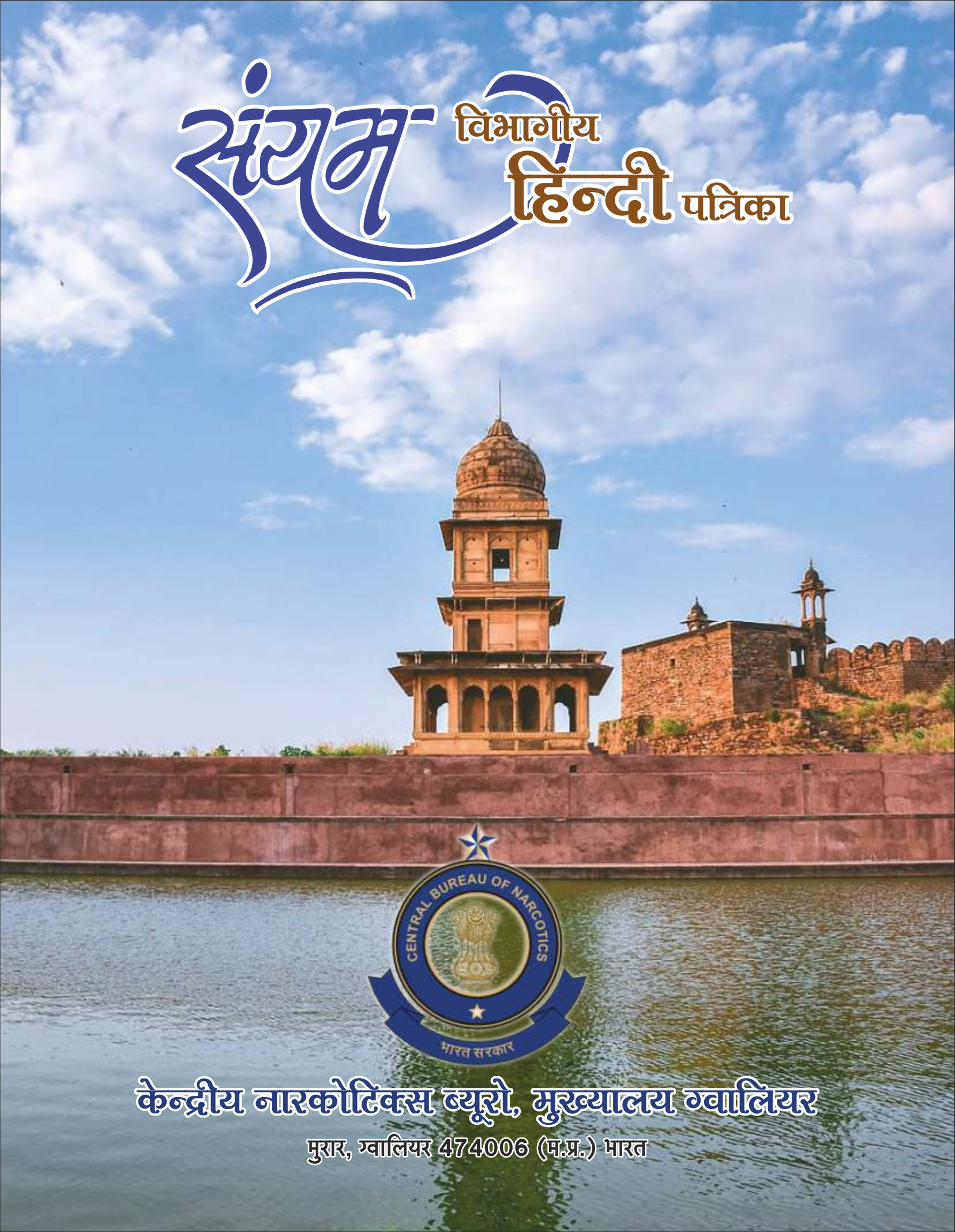

संयम
विभागीय हिन्दी पत्रिका

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, मुख्यालय ग्वालियर

मुरार, ग्वालियर 474006 (म.प्र.) भारत

संपादक मंडल

अजय कुमार
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर

एस.के. वर्मा
अधीक्षक (हिन्दी)
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर

शालिनी दुबे
कनिष्क अनुवादक
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर

एस.पी. सिंह
अधीक्षक
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर

सुनील अग्रवाल
निरीक्षक
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर

संयम

विभागीय हिन्दी पत्रिका

अनुक्रमणिका

सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भारत के संविधान की प्रस्तावना	2
2.	आयुक्त की कलम से	3
3.	संदेश, उप नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर	4
4.	संदेश, उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा	5
5.	संदेश, उप नारकोटिक्स आयुक्त, लखनऊ	6
6.	संदेश, उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच	7
7.	संदेश, सहा. नारकोटिक्स आयुक्तगण, ग्वालियर	8
8.	अफीम की खेती का इतिहास (भाग 1-4)	9
9.	संघर्ष, गरीबी एवं ड्रग्स	16
10.	नशा मुक्ति अभियान (कविता)	17
11.	माँ (कविता)	17
12.	जिसको है अपने जीवन से प्यार। वो ड्रग्स से करे इन्कार। (कविता)	18
13.	कौओ की सभा (व्यंग्य)	18
14.	ड्रग्स पर तथ्य साझा करें, ज़िंदगी बचायें	19
15.	एक किताब लिखेंगे (कविता)	20
16.	स्वापक औषधियाँ एवं इसके प्रकार	21
17.	मन के संकल्प (कविता)	22
18.	क्यों नहीं बन पाई हिन्दी ज्ञान-विज्ञान की भाषा (लेख)	23
19.	रुको तो सही (कविता)	24
20.	अंगदान - महादान (उपलब्धि संस्मरण)	25
21.	जीवन की परिभाषा है हिन्दी (कविता)	27
22.	सपनों में रख आस्था (कविता)	27
23.	क्या लिखूं मैं...	28
24.	बगिया के सुंदर माली	28
25.	मरू राही	29
26.	सार्थक एवं सफल जीवन की परिभाषा	30
27.	कार्यालयीन गतिविधियों के छायाचित्र	32
	कार्यालय डायरेक्ट्री	

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवाजी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत दुख का कारण बनती है।

आयुक्त की कलम से

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की विभागीय पत्रिका 'संयम' आपके सन्मुख रखते हुए मुझे अपार आनंद का अनुभव हो रहा है।

राजभाषा नीति के अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सद्भाव एवं प्रोत्साहन के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिन्दी के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने में हिन्दी पत्रिकाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस पत्रिका के माध्यम से यह संदेश देना चाहूँगा कि हिन्दी हमारे स्वदेशी स्वाभिमान का द्योतक है एवं हमें अपनी संस्कृति का बोध कराती है। हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार को बढ़ाना हमारा कर्त्तव्य है।

मुझे आशा है कि यह पत्रिका कार्यालय में हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास एवं उसके प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करेगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

ड्रग्स ना लें, ना दें। मन संयम से भर दे।।
बन्दे, जीवन है, सौगात ख़ुशी की।
बर्बाद ना कर दें

राजेश फत्तेसिंग ढाबरे
भारत के नारकोटिक्स आयुक्त
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर

शुभकामना संदेश

विभाग द्वारा 'संयम' पत्रिका के प्रकाशन पर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के कार्यालय में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अधिकाधिक होता रहा है और इसी उद्देश्य से कार्यालय में प्रति वर्ष राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अपने रोजमर्रा के कार्यों के बीच में कुछ अलग करने के लिए इच्छुक अधिकारियों को अपनी भावनाओं को हिन्दी के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर राजभाषा प्रदान कर रही है, जिससे कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन में भी सफलता प्राप्त हो रही है।

पत्रिका के माध्यम से विभाग के विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। रचनाकारों ने रोचक विषयों पर रचनाए प्रस्तुत की है। आशा करता हूँ कि आगे भविष्य में भी यह विभागीय पत्रिका राजभाषा हिन्दी की गरिमा बढ़ाती रहेगी।

हेमन्त हिंगोनिया
उप नारकोटिक्स आयुक्त
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर

देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है, जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है।

शुभकामना संदेश

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से विभागीय पत्रिका 'संयम' का प्रकाशन मेरे लिए अत्यन्त हर्ष एवं गौरव का विषय है। इस अवसर पर माननीय नारकोटिक्स आयुक्त महोदय तथा इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु समस्त लेखकों को मेरी एवं राजस्थान इकाई के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

इस पत्रिका के प्रकाशन से जहाँ एक ओर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की हिन्दी साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी एवं उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा, वही दूसरी ओर उनमें राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए भावनात्मक लगाव भी उत्पन्न होगा। हिन्दी राजभाषा के अलावा हमारी मातृभाषा भी है। हिन्दी में कार्य करना हमारा संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है। जन आकांक्षाओं की पूर्ति नि:संदेह हमारी अपनी राजभाषा से ही की जा सकती है। यही वह मज़बूत सूत्र है जो हमें एक दूसरे से बांध सकता है।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 'संयम' पत्रिका में प्रकाशित रचनाएँ पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक एवं लाभकारी सिद्ध होगी तथा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में उपयोगी होगी। मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

विकास जोशी
उप नारकोटिक्स आयुक्त
राजस्थान, कोटा

शुभकामना संदेश

विभागीय हिन्दी पत्रिका 'संयम' के प्रकाशन से मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। इस अवसर पर माननीय नारकोटिक्स आयुक्त महोदय तथा विभाग के सभी सदस्यों और इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु समस्त रचनाकारों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। नारकोटिक्स विभाग की गृह पत्रिका 'संयम' का प्रकाशन व इसका सभी कार्यालयों में वितरण हिन्दी भाषा के विकास एवं प्रचार–प्रसार का एक कुशल माध्यम है।

इस प्रक्रिया से हम विभागीय क्रियाकलापों व हिन्दी से सम्बन्धित विशिष्ट जानकारियों को एक दूसरों का अवगत कराते हैं। हिन्दी भाषा ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। देश के सभी हिस्सों में राष्ट्रनायकों ने हिन्दी भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है, यही कारण है कि संविधान द्वारा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आशा करता हूँ कि सुधि पाठक 'संयम' पत्रिका में संकलित रचनाओं से लाभान्वित होंगे।

डॉ. शशांक कुमार यादव
उप नारकोटिक्स आयुक्त, लखनऊ

धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है।

शुभकामना संदेश

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की विभागीय हिन्दी पत्रिका 'संयम' का प्रकाशन पर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करना राजभाषा विभाग के प्रमुख दायित्वों में से एक है और इस दिशा में इस हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कदम है।

मेरा विचार है कि हम हिन्दी के सरल व सहज रूप को अपनाकर अपने सभी कार्य हिन्दी में करने को प्राथमिकता दें, जिससे राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में गुणात्मक वृद्धि होगी।

अधिकारियों को अपनी भाषा एवं संस्कृति को जीवन्त रखने में विभागीय पत्रिकाएँ एक उपयोगी मंच साबित होगी हैं। मुझे विश्वास है कि विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यगणों को अपनी अभिव्यक्ति सम्प्रेषण एवं साहित्यिक अभिरुचि को साकार करने में यह पत्रिका एक मंच प्रदान करेगी।

मैं पत्रिका के प्रकाशन के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ एवं पत्रिका की सफलता हेतु मंगल कामना करता हूँ।

डॉ. संजय कुमार
उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच

शुभकामना संदेश

यह अत्यन्त उल्लास का विषय है कि राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की दिशा में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो विभाग का प्रयास सदा अग्रसर रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभागीय पत्रिका 'संयम' के प्रकाशन के माध्यम से कार्यालय के अधिकारियों की छिपी प्रतिभाओं को खोज निकाला गया है। हमारी मूल हिन्दी रचनाएँ हमें हिन्दी लिखने, पढ़ने और सोचने की प्रेरणा देती है। यह पत्रिका सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हेतु एक प्रेरणा स्त्रोत बने, यह हम सभी का एक सामूहिक प्रतिफल है।

हमारा प्रयास होना चाहिए कि विभागीय पत्रिका के माध्यम से विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा मिले। मेरी आशा है कि राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन होगा और कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रचार-प्रसार को नये आयाम मिलेंगे और हमारी राजभाषा विकासोन्मुख होगी।

अजय कुमार
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि विभागी पत्रिका 'संयम' का प्रकाशन किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं पूरे सीबीएन परिवार को बधाई देता हूँ। विभागीय पत्रिका 'संयम' अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सृजनशीलता का माध्यम होने के साथ-साथ राजभाषा के प्रति गौरव का भाव भी भरती है। अभिव्यक्ति का माध्यम बनने पर राजभाषा हिंदी केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहती बल्कि जनमानस की अपनी हो जाती है।

मुझे विश्वास है कि 'संयम' का यह अंक राजभाषा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य को पूरा करने में सफल होगा। पत्रिका के प्रकाशन में सहभागी सभी अधिकारी, कर्मचारी, लेखकवृंद एवं संपादक मंडल प्रशंसा के पात्र हैं। पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

गौरव गुंजन
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर

भाग-1 अफीम का विश्व इतिहास

सुनील कुमार वर्मा
अधीक्षक, के.ना.ब्यूरो, ग्वालियर

क्र.सं	काल/वर्ष	विवरण
1	3400 ई.पू.	अफीम फसल की खेती मेसोपोटामिया में की जाती थी। सुमेरियन इसे हुल गिल के नाम से जानते थे जिसका मतलब होता है खुशी का पौधा।
2	1300 ई.पू.	थेब्स की राजधानी में मिश्रवासियों ने अफीम की खेती करनी आरंभ की।
3	1100 ई.पू.	साइपरस के टापू पर सागर के लोग शल्य गुणवत्ता चीरने वाले छुरी से अफीम की पैदावार करते थे।
4	460 ई.पू.	औषधि के जनक हिप्पोक्रेस्ट मानते है कि इसका इस्तेमाल अंदरूनी बीमारियों, स्त्रियों के महामारी के इलाज में काम आती है।
5	330 ई.पू.	सिकन्दर महान ने परसिया और भारत के लोगों को अफीम से परिचय कराया।
6	400 ईस्वी	अरब आक्रांताओं के द्वारा मिश्र के थेब्स अफीम को चीन में लाया गया।
7	1200 ईस्वी	प्राचीन भारतीय इलाजों में षोदाल गांधीगढ़ और सांरगधर संहिता में अफीम का उपयोग दस्त एवं यौन दुर्बलता के लिए वर्णित है।
8	1500 ईस्वी	पुर्तगाली लोग ईस्ट चीन सागर के पास अफीम की धूम्रपान करना शुरू कर दिये। यह प्रभाव तत्कालिक था।
9	1527 ईस्वी	सुधार के चरम समय के दौरान, यूरोप में अफीम का पुन: परिचय मध्यकालीन साहित्य में पारासेलसस द्वारा लॉडंनम के रूप में हुआ। ये काले दवाईयां या अमरत्व के पत्थर अफीम, साइट्रेस रस और स्वर्ण अर्क के बने होते थे और दर्दनिवारक के रूप में निर्धारित किये जाते थे।
10	1600 ईस्वी	परसिया और भारत के निवासियों ने पुर्नरचना उपयोग के अफीम मिश्रण को खाना और पीना शुरू कर दिया।
11	1601 ईस्वी	एजीलाबेथ द्वारा अधिकार पत्र प्राप्त जलयानों को निर्देशित किया गया कि भारत से उत्कृष्ट अफीम खरीद कर वापस इग्लैण्ड भेजा जाए।
12	1700 ईस्वी	डचों ने भारतीय अफीम को चीन और दक्षिण एशिया के द्वीपों में निर्यात किया। डचों ने ही अफीम के तंबाकू पाइप में धूम्रपान करने का परिचय चीन को करवाया।
13	1827	डार्मस्टाट, जर्मनी के ई. मर्क एण्ड कंपनी ने मॉरफिन के व्यवसायिक उत्पादन की शुरूआत की।
14	मार्च 18 , 1839	लीन-से-हूं, उपनिवेशक अफीम यातायात रोकथाम चीन कमिश्नर, के विदेशी व्यापारियों को उनके अफीम को सौपने का आदेश देता है। इसके जवाब में ब्रिटिश चीन के तट पर जंगी जहाज भेजता है जो प्रथम अफीम युद्ध की शुरूआत थी।

15	1840	नये इंग्लैण्ड निवासियों ने अमेरिका से 24000 पाउण्ड की अफीम को लाये जिसने यूएस सीमा शुल्क का ध्यान खींचा और उन्होंने तुरंत इस पर आयात शुल्क लगा दिया।
16	1841	चीन को प्रथम अफीम युद्ध में ब्रिटिश से हार मिली और बड़ी मात्रा में हर्जाना भरना पड़ा।
17	29 अगस्त 1842	नानकिंग की संधि जो महारानी इग्लैण्ड और चीन और हांग–कांग के ब्रिटिश शासकों के बीच हुई, ब्रिटिश को सुर्पुद किया।
18	1843	एडिन बुश्क के डॉ सिकंदर वुड ने सिरिंज के मदद से मॉरफिन के प्रभाव को तुरंत एवं तीन गुना अधिक शक्तिशाली पाते हैं।
19	1856	ब्रिटिश तथा फ्रेंच द्वितीय अफीम युद्ध में चीन के खिलाफ अपनी दुश्मनी फिर से दोहराते हैं। संघर्ष के बाद चीन को दोबारा हर्जाना भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अफीम के आयात का वैधीकरण होता है।
20	1874	अंग्रेजी अनुसंधानकर्ता, सीआर राइट के पहली बार मॉरफिन को एक स्टोव पर उबालकर हिरोइन या डाइसेटाइलमॉरफिन को संश्लेषित करते है।
21	1886	ब्रिटिश वर्मा के उत्तरपूर्व इलाके को कब्जे मे लेते हैं। बर्मा के निचले भाग में ब्रिटिश का अफीम व्यापार पर कड़े एकाधिकार रखने के बावजूद अफीम की खेती और तस्करी पनपती रही।
22	1903	कोका कोला में कोकिन के सामग्री के कैफिन से विस्थापित किया गया।
23	1905	यूएस कांग्रेस ने अफीम पर प्रतिबंध लगाया।
24	1909	अफीम के आयात को गैर–कानूनी घोषित करते हुए पहला संघीय ड्रग्स निषेध कानून यूएस में पारित हुआ।
25	1 फरवरी, 1909	शंघाई में अन्तर्राष्ट्रीय अफीम आयोग बुलायी गयी।
26	1910	150 वर्षों से देश को अफीम से मुक्ति दिलाने में असफल रहने पर चीन ने इण्डो–चीन अफीम व्यापार समाप्त करने में ब्रिटिश को मनाने में आखिरकार सफल हुआ।
27	1930	अमेरिका के विधि विभाग के नारकोटिक्स भाग के प्रथम संघीय ड्रग्स एंजेसी) ने सभी नारकोटिक्स विक्रय पर प्रतिबंध लगाया।
28	1945–1947	द्वितीय विश्वयुद्ध में बर्मा ने ब्रिटिश कब्जे से मुक्ति पाई।
29	1 जुलाई 1973	ड्रग्स प्रवाह के सभी संयुक्त शक्तियों को समेकित करने के लिए न्याय विभाग के तहत राष्ट्रपति निक्सन ने ड्रग्स प्रवर्तन प्रशासन डी.ई.एफ को गठित किया ।
30	1995	दक्षिण पूर्व एशिया का गोल्डेन ट्राइगन क्षेत्र वार्षिक 2500 टन अफीम प्राप्त कर अफीम उत्पादन का नेता बनता है।
31	2000	तालिबानी नेता मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान में अफीम खेती पर प्रतिबंध लगाया, संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स नियंत्रण कार्यक्रम अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन मिट जाने की पुष्टि करता है।
32	पतझड़ 2001	अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बाजारों में हेरोईन की बाढ़ आ जाती है। तालिबान शासन को उखाड़ फेंका गया।
33	अक्टूबर 2002	संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स कंट्रोल और अपराध निवारक संस्था घोषित करती है कि अफगान ने अफीम उत्पादक के रूप में सबसे बड़े देश के रूप में विश्व में अपनी स्थान को प्राप्त कर लिया है।
34	नवम्बर 2008	स्विस मतदानकत्ताओं ने एक स्थायी व व्यापक वैध हिरोईन कार्यक्रम को भारी समर्थन दिया।
35	मार्च 2009	विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया के 80 प्रतिशत जनसंख्या के पास पर्याप्त दर्दनिवारक सुविधा नहीं है।

अनुमान गलत होते हैं, अनुभव नहीं।

भाग-2, अफीम का भारतीय इतिहास

क्र.सं	काल/वर्ष	विवरण
1	1000 ईसापूर्व	अफीम खेती की शुरूआत हुई।
2	13वी शताब्दी	अफीम खेती तेजी से फैला ।
3	लगभग 1590	अबुल फजल द्वारा रचित आईने-ए-अकबरी- सबसे प्रथम अफीम खेती का संदर्भ मंनोरंजन के उद्देश्य के लिए देता है
4	1556-1605	अकबर पहला था जिसने खेती पर राजस्व जमा किया। मुगल शासक अकबर ने अफीम की उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का एकाधिकार बनाया।
5	1620 से 1670	मुगलो से लड़ रहे राजपूत के दलों ने असम में अफीम ले जाने की आदत डाली। राजपूत सैनिकों को रोज अफीम दी जाती है।
6	1683	पहली बार अफीम को निवेश के हिस्से के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी निर्देश।
7	1757	प्लासी के युद्ध- ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल राज्य पर नियंत्रण हासिल किया तथा बंगाल और बिहार के अफीम खेती पर भी नियंत्रण किया।
8	1756-66	आगामी वर्षों में पोस्ते के खेती की भूमि 283000 हेक्टेयर से बढ़कर 303000 हेक्टेयर हो गयी। धान के खेतों का इतने बड़े पैमाने में अफीम की खेती बदलना सन् 1770 बंगााल में सूखे का कारण बना। एक करोड़ से अधिक लोग मारे गये।
9	1773	ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अफीम व्यापार पर मुगलों के एकाधिकार को पुन: ले लिया। वारेन हेस्टिंग ने ठेके की पद्धति की शुरूआत की। अफीम की ठेके की लेन-देन को निलामी के जरिये पुरस्कृत किया गया। अफीम व्यापार से प्राप्त लाभ को शेष बचे भारत के हिस्सों को कब्जे में लेने के लिए वित्तीय सैनिक कार्यवाहियों में हुआ।
10	1776	ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम से प्राप्त राजस्व को अपने वित्तीय नीति के हिस्से के रूप संग्रहित किया तथा बंगाल अफीम एंजेसी को स्थापित किया।
11	1793	बंगाल विनियम अधिनियम 1793 पारित हुआ: व्यापार बोर्ड में अफीम विभाग निविष्ट हुआ। ठेके की अवधि 4 वर्षों तक बढ़ायी गई।
12	1797	ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगााल विनियम खेती की शुरूआत अफीम काश्तकारों से अफीम खरीदने के लिए अफीम एजेन्ट की नियुक्ति की तथा पटना एवं गाजीपुर की कंपनी द्वारा फैक्टरी में इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ्भ हुआ। शराब एवं अफीम पर उत्पाद शुल्क लगाया गया।
13	1799	ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठेके की पद्धति को छोड़ दिया और एंजेसी पद्धति को अपना लिया।
14	1807	बंगाल अफीम एजेंसी हटाई गयी और 1807 विनियम के द्वारा बनारस अफीम एजेंसी बनाई गयी।
15	1809	1809 के विनियम के द्वारा बिहार अफीम एजेंसी बनाई गयी।

16	1816	बंगाल विनियम 1816 पारित किया गया–पुलिस और उत्पाद अधिकारियों को अफीम के बिक्रय तथा अवैध कृषि में जुड़े किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही के लिये अधिकृत किया गया ।
17	1820	बनारस अफीम एजेंसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी थी 1945 में, गाजीपुर फैक्टरी स्थापित हुई। इसने अफीम के बनाने में क्षारोद निकालना शुरू किया।
18	1821	इंदौर में मालवा अफीम एजेंसी मुख्यालय स्थापित की गई।
19	1824–1826	ब्रिटिश ने दक्षिण गुजरात को अधिकार में लिया और बड़ोदरा होल्कर एवं मालवा के अन्य छोटे राज्यों से अफीम खरीदने का अधिकार हासिल किया ।
20	1843	पश्चिमी तटीय क्षेत्र से अफीम के निर्यात के पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए कराची पोर्ट और सिन्ध प्रान्त को हथिया लिया। केन्द्रीय भारतीय राज्यों तथा बाम्बे प्रेसीडेंसी के सीमा के जगहों पर मालवा अफीम पर परिवहन शुल्क लगाया गया।
21	1857	1857 का सिपाही क्रांति– विलियम फोर्ब्स के अनुसार– एक सर्जेन्ट जिसने उत्तर प्रदेश के बढ़ते अवरोध में भाग लिया ने अफीम कृषि की शुरूआत ने भारी विद्रोह में चिन्गारी लगाई।
22	1857	1857 का अफीम अधिनियम– 1793, 1795, 1816 एवं 1824 के मौजूदा विनियमों को निरस्त करते हुए हुए अफीम अधिनियम 1857 को लागू किया गया। पोस्ते की खेती और अफीम का उत्पादन का सीधा नियंत्रण बंगाल प्रशासन और राजस्व बोर्ड, कलकत्ता के अधीन हो गया।
23	1878	अफीम अधिनियम 1878–तस्करी को नियंत्रित करने के लिए, ब्रिटिश एवं गैर– ब्रिटिश भू–भागों में निजी अधिकार एवं अनाधिकृत अफीम व्यापार को दंडनीय बनाया गया।
24		त्रिकोण प्रकृति अफीम व्यापार की– ब्रिटिश द्वारा अफीम का चीन को निर्यात किया जाना, चीन से चाय खरीदने के लिए पैसे कमाना था जिसे यूरोप में बेचा गया एवं ब्रिटिश औद्योगिक सामानों को भारत में आपूर्ति किया गया।
25		अन्तर्देशीय सीमा रेखा: ब्रिटिश द्वारा पूरे भारत में सीमा प्रतिबंध मुख्य रूप से कर वसूलने के लिये अफीम, नमक और शक्कर पर लगाया गया। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के भारत सीमा रेखा का स्थापना अधीन तो था ही लेकिन यह सीधे ब्रिटिश शासन के समय भी जारी रहा। इसे उत्तर–पश्चिम में पंजाब से चलाया गया जबतक यह विशाल उड़ीसा राज्य, बंगाल की खाड़ी के नजदीक दक्षिणपूर्व तक नहीं पहुंच गया। यह रेखा प्रारंभ में खतरनाक कांटेदार चीजों जैसे भारतीय बेर से बना किंतु अंत में विकसित बड़े मेड़ से बना जो कि 12 फीट (3.7) ऊंचा हुआ।
26	1930	खतरनाक औषधि अधिनियम पारित।
27	1933	नीमच (नीमच) अफीम फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1935 में अपरेशन शुरू हुआ। 1976 में, इसने अफीम के प्रसंस्करण के अलावा अल्कलाइड निकालना शुरू किया। (NIMACH ''नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवेलरी हेडक्वार्टर'' का संक्षिप्त नाम है)
28	1949	दिल्ली में आयोजित पहला अखिल भारतीय अफीम सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की थी। पूरे भारत में नशीले पदार्थों के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में सुधार और समन्वय के लिए, वित्त मंत्रालय (राजस्व प्रभाग) के संकल्प संख्या F-235–E-0/45 द्वारा 2 अप्रैल 1949 को एक केंद्रीय प्राधिकरण, अखिल भारतीय नारकोटिक्स बोर्ड की स्थापना की गई थी।
29	1 अप्रैल 1950	दिनांक 1.4.1950 को भारत में अफीम की खेती और उत्पादन पर नियंत्रण भारत सरकार के हाथों में चला गया।
30	1950	अफीम और राजस्व कानून (आवेदन का विस्तार) अधिनियम, 1950, 1950 की संख्या XXXIII के आधार पर, केंद्र सरकार के तीनों अधिनियमों अर्थात 1857 के अफीम अधिनियम, 1878 के अफीम अधिनियम और 1930 के खतरनाक औषधि अधिनियम को भारतीय संघ के सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया गया।

सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और दुआ में बस नियत साफ़ रखना.

31	6 नवम्बर 1950	अफीम एजेंसियों (बनारस अफीम एजेंसी, बिहार अफीम एजेंसी और मालवा अफीम एजेंसी) के एकीकरण ने वर्तमान अफीम विभाग की नींव रखी और पूरे देश में अफीम के उत्पादन पर समान नियंत्रण रखने के लिए एक केंद्रीय संगठन बनाया गया। इस संगठन को अब केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय पहले शिमला में था और इसे 1960 में ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया गया था।
32	1953	संयुक्त राष्ट्र अफीम सम्मेलन आयोजित हुआ। इस प्रोटोकल और 1961 के नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन के तहत, भारत को सात देशों (बुल्गारिया, ग्रीस, भारत, ईरान, तुर्की, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और यूगोस्लाविया) में से अपने स्वयं के क्षेत्रों से अफीम का उत्पादन और निर्यात करने की अनुमति वाला नामित किया गया।
33	1956	द्वितीय अखिल भारतीय अफीम सम्मेलन हुआ।
34	1959	तृतीय अखिल भारतीय अफीम सम्मेलन हुआ।
35	1985	पूर्ववर्ती प्रमुख अधिनियमों अर्थात अफीम अधिनियम 1857, अफीम अधिनियम, 1878 और खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 को समेकित करके एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 पारित किया गया। इसमें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्व को लागू करने के लिए तैयार किए गए प्रावधान भी शामिल हैं।
36	14 नवम्बर 1985	एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और एनडीपीएस नियम, 1985 दोनों ही लागू किये गये।
37	1986	एनसीबी का गठन हुआ।
38	1988	एसीटीक एन्ड्रायड को विशिष्ट माल अनुभाग 11–1 के, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत अवैध निर्यात की जांच के अन्तर्गत लाया गया। इण्डो–म्यानामार सीमा के 100 किमी. और इंडों–पाक सीमा(1991 में संशोधित) के 50 किमी के भीतर एसीटीक एन्ड्रायड के परिवहन/अधिकार के लिए विशेष मापक निर्दिष्ट किया गया।
39	1989	अवैध यातायात के रोकथाम में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1988 अधिनियमित हुआ। यह अधिनियम स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों में अवैध यातायात के रोकथाम कें उद्देश्य से कुछ मामलों में नजरबंदी करता है।
40	1993	एनडीपीएस अधिनियम के 9 ए धारा 1985 के तहत, एनडीपीएस(नियत्रित पदार्थो के नियमन)आदेश, ऐसे पदार्थ के उत्पादन, वितरण, आयात–निर्यात परिवहन पर नियंत्रण, विनियम, निगरानी को लागू किया गया। यह आदेश पूर्वसूचना नियंत्रण पर अभिलेख आधारित लागू किया।
41	2008	अमित घोष भारतीय उपन्यासकार के प्रथम तीन पुस्तक सी ऑफ पोपिस (2008) को सन् 2008 मैन आफ बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। यह किताब ब्रिटिश शासन के काल में अफीम खेती के बारे में है। उन्होंने पोस्ते दाने के चरित्र को ऐसे दर्शाया जिसमें पोस्ते दाने खेत से बड़ी मात्रा में समुद्र के समान निकलते है जहां प्रत्येक पोस्ते बीज को यह नहीं पता कि उसका भविष्य क्या है।
42	2011	रीवर आफ स्मोक(2011) अमित घोष के उपन्यासत्रयी की दूसरी किताब है। यह चीन में 1830 के समय अफीम खेती को गहराई से हमें उजागर करता है।
43	2012	2012– कैबिनेट ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ पर राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी।
44	2013	नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश लागू किया गया।
45	2019	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम का दूसरा संशोधन पारित किया गया।
46	2019	नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश का दूसरा संशोधन पारित किया गया।

सुनील कुमार वर्मा
अधीक्षक, के.ना.ब्यूरो, ग्वालियर

भाग-3 केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के गठन का इतिहास

1. भारत के लोगों को अफीम पोस्त और उसकी खेती के बारे में कब और कैसे ज्ञात हुई यह अनिश्चित है। शेख अबुल फजल द्वारा संकलित आइन-ए-अकबरी में , लगभग 1590 ई. में, अफीम का उल्लेख आगरा, अवध और इलाहाबाद के तत्कालीन सूबाओ की वसंत की मुख्य फसल के रूप में किया गया है। बंगाल और बिहार के ब्रिटिश अधिग्रहण की अवधि तक, डच अफीम के मुख्य खरीदार थे। अफीम को निवेश का हिस्सा बनाने के निर्देश सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1683 ई. में जारी किए थे।
2. 1756 में यूरोपीय कंपनियों पर सिराज-उ-दौला की जीत ने पटना के अफीम डीलरों को बर्बाद कर दिया। 1765 में शांति की बहाली पर, बहुत कम अफीम पैदा हुई थी जिससे अफीम की कीमत बहुत अधिक हो गई। 1767 में कंपनियों ने उत्पादित सभी अफीम के लिए एक सामान्य एजेंट के साथ व्यापार की एक संयुक्त प्रणाली विकसित किया, और अंत में 1773 जब बंगाल के राज्यपाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उत्पादित सभी अफीम का एकाधिकार ग्रहण किया गया तब इन सभी विवादों को समाप्त कर दिया गया ।
3. 1773 से 1793 तक कंपनी के लिए अफीम के निर्माण का अधिकार पहले सालाना बेचा जाता था, लेकिन, 1781 से, चार साल के अनुबंधों का प्रावधान कर दिया गया था।
4. 1797 में, एजेंसी प्रणाली ने अनुबंध प्रणाली का स्थान ले लिया और अफीम विभाग का नियंत्रण व्यापार बोर्ड में निहित हो गया, जिसके अध्यक्ष व्यावहारिक रूप से परिषद के पदेन सदस्य थे।
5. भारत में अफीम एकाधिकार 1857 के अफीम अधिनियम (Act No. XIII of 1857) द्वारा प्रख्यापित किया गया था; निर्मित दवाओं का एकाधिकार 1878 के अफीम अधिनियम (1878 का 1) और 1930 के खतरनाक औषधि अधिनियम (1930 का द्वितीय) द्वारा स्थापित किया गया था।
6. 1947 में भारत सरकार को सत्ता हस्तांतरण और जनवरी 1950 में भारत के संविधान की घोषणा के बाद, पूरे भारत में अफीम की खेती और निर्माण पर नियंत्रण 1 अप्रैल 1950 को भारत सरकार के हाथों में चला गया। अफीम और राजस्व कानून (आवेदन का विस्तार) अधिनियम, 1950, 1950 की संख्या XXXIII , के आधार पर, केंद्र सरकार के तीन अधिनियमों, जैसे, 1857 के अफीम अधिनियम, 1878 के अफीम अधिनियम और 1930 के खतरनाक औषधि अधिनियम को भारतीय संघ के सभी राज्यों में समान रूप से लागू कराया गया।
7. वित्त मंत्रालय (राजस्व प्रभाग) के संकल्प संख्या F-235-E-0/45, 2 अप्रैल 1949 के द्वारा एक केंद्रीय प्राधिकरण, अखिल भारतीय नारकोटिक्स बोर्ड, स्थापित किया गया था, ताकि सम्पूर्ण भारत में नारकोटिक्स प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में सुधार

खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं.

और समन्वय किया जा सके। बोर्ड वित्त मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी है और इसके कार्यों के निष्पादन में एक नारकोटिक्स सलाहकार और आवश्यक स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नवंबर 1950 में, भारत सरकार ने एक केंद्रीय संगठन बनाकर पूरे देश में अफीम के उत्पादन पर नियंत्रण की प्रणाली को एकीकृत और युक्तिसंगत बनाने के लिए इस दिशा में पहला कदम उठाया।

उक्त विभाग अब केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के नाम से जाना जाकर नारकोटिक्स आयुक्त, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है। सरकार की ओर से उन पात्र कृषकों द्वारा खेती करायी जाती है जो कि अफीम बोने, कैप्सूल में चीरा लगाने, लेटेक्स इकट्ठा करने और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर तौल केंद्र पर अफीम पहुंचाने का काम करते हैं। काश्तकारों से प्राप्त अफीम को गाजीपुर या नीमच में सरकारी कारखानों में भेजा जाता है, जहाँ इसका रासायनिक परीक्षण किया जाता है और निर्यात और आंतरिक खपत के लिए तैयार किया जाता है।

सुनील कुमार वर्मा
अधीक्षक, के.ना.ब्यूरो, ग्वालियर

भाग- 4: मादक द्रव्य के नियंत्रण से संबंधित भारत में अधिनियमित विभिन्न अधिनियम, नियम, आदेश और संशोधन

क्रमांक	अधिनियम, नियम, आदेश और संशोधन	लागू करने का वर्ष
1.	स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम	1985
2.	स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली	1985
3.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (दोषियों या व्यसनी द्वारा बांड का निष्पादन) नियम	1985
4.	नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में अवैध ट्रैफिक की रोकथाम अधिनियम	1988
5.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ परामर्शदात्री समिति नियम	1988
6.	अवैध रूप से अजत संपत्ति (प्राप्ति, प्रबंधन और निपटान) नियम	1989
7.	ज़ब्त संपत्ति (प्रक्रिया) के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण नियम	1989
8.	जब्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम	1989
9.	जब्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (शुल्क) नियम	1989
10.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (दस्तावेजों का प्रमाणीकरण) नियम	1992
11.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (नशीले पदार्थों के सेवन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष) नियम	2006
12.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश	2013
13.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम का दूसरा संशोधन	2019
14.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश का दूसरा संशोधन	2019

सुनील कुमार वर्मा
अधीक्षक, के.ना.ब्यूरो, ग्वालियर

संघर्ष, गरीबी एवं ड्रग्स

इस वर्ष यूएनओडीसी (UNODC) संकट की स्थितियों से उत्पन्न होने वाली अंतर्राष्ट्रीय दवा चुनौतियों का समाधान कर रहा है। विश्व भर में, जैसे कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के शत्रुतापूर्ण कब्जे करना, सीरिया, यमन और अब यूक्रेन में युद्ध, बंग्लादेश में रोहिंग्याओं के शरणार्थी संकट जैसी स्थितियां न केवल लोगों को गरीबी में बना रही हैं, बल्कि इससे मादक पदार्थो की तस्करी के लिए गरीब लोगों का दुरूपयोग किया जा रहा है।

बांग्लादेश में, लगभग 700,000 रोहिंग्या हिंसा और उत्पीड़न के कारण अपने देश म्यांमार से भाग जाने के बाद गरीबी की स्थिति में जी रह रहे हैं। ऐसे शरणार्थियों की हताशा को, जो बांग्लादेश में आय के कुछ अवसरों को खोज रहे हैं, म्यांमार में मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा बांग्लादेश में याबा नामक लोकप्रिय मेथेम्फेटामाइन–आधारित दवा डालने के लिए उन पर शोषण किया जा रहा है। इससे बांग्लादेश में याबा का खेती अत्यधिक हुई जिसने इसकी कीमतों में 50 प्रतिशत की कमी आई है जिससे नशीली दवाओं का व्यापक का दुरूपयोग हुआ है।

अफगानिस्तान में, तालिबान आतंकवादियों द्वारा राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के साथ, गरीबी और नशीली दवाओं की समस्या और अधिक बढ़ने वाली है। गरीबी से मजबूर किसान अवैध अफीम पोस्त की खेती करने के लिए मज़बूर होते है जो खाद्य फसलों की तुलना में अधिक लाभकारी है। आंकड़ों से पता चलता है कि अफगानिस्तान में अफीम पोस्त की खेती गांवों में बिजली ग्रिड, स्कूलों, साक्षरता कार्यक्रमों, कृषि सहकारी समितियों इत्यादि पहुंच नहीं है और वे लाइसेंस वाली फसलें उगाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढ़ाचे का अभाव भी है।

यमन में, हौथी विद्रोही कथित तौर पर अपनी विद्रोही गतिविधियों का समर्थन करने के लिए नशीली दवाओं की तस्करी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक इसी तरह, सीरिया में भी, राज्य के अभिनेता खुद सऊदी अरब और अन्य अरब देशों में लोकप्रिय कैप्टागन, एक अवैध नशे की लत एम्फैटेमिन जैसी दवाओं के अवैध निर्माण और तस्करी में शामिल हैं। इस तरह के संघर्ष और दवा–आधारित अर्थव्यवस्थाएं ऐसे अभिनेताओं का निर्माण करती हैं जिनकी रूचि संघर्ष को जारी रखने में होती है।

भारत के संदर्भ में उत्तर पूर्व भारत भांग दवाओं की अवैध खेती जैसी नशीली नक्सली क्षेत्रों में संघर्ष को बढ़ावा देता है। नशीली दवाओं के पैसे का इस्तेमाल विद्रोही समूह अपनी अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए करते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों के किसानों के लिए, इन अवैध दवाओं की खेती सामान्य खाद्य फसलों की तुलना में अधिक लाभकारी है।

इसलिए, यह देखा जा सकता है कि नशीली दवाओं के निर्माण, तस्करी और व्यापार की समस्या को हमारे समाज के विस्तृत सामाजिक–राजनीतिक पहलुओं से अलग नहीं किया जा सकता है। संघर्ष लोगों को गरीबी की ओर ले जाता है जो ड्रग कार्टेल के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। ड्रग कार्टेल की स्थापना से हिंसा को और बढ़ावा मिलता है जिससे आगे विस्थापन और गरीबी होती है। यह एक दुष्चक्र है जिसे तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जब तक सत्ता में बैठे लोग देशों के क्षेत्रों को शतरंज के एक भव्य खेल खेलने में रोक नहीं देते हैं तथा इसे सम्मान के साथ इंसान एवं पशुओं के जीने वाली जगह रूप में नहीं बना देते।

अमनदीप सिंह

उच्च श्रेणी लिपिक

कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।

नशा मुक्ति अभियान

मादक नशा मुक्ति पर हम करें अभियान
आओं साथियों मिलकर हम,
मादक नशे के विरूद्ध चलाएं अभियान,
आज ड्रग की मादक नशा से,
हो रहा है सारा जग परेशान,
जिन्दगी ये हसींन है, जरा सोचो इस पर,
मत करने दो लोगों को नशापन,
मादक पदार्थ की नशा तो व्यसन है, जो जहर है,
जीवन में सिर्फ लाता है व्यवधान,
हमें तकलीफ है इससे, हमें फिक्र है,
तो न रहने दें अपने को,
इसके दुष्परिणामों से अंजान,
परम आनंद पाने के लिए,
नशाखोरी ही नहीं हो
सकता अपना अरमान,
अनेक विकल्प हैं नशे के
अगर
सब सोचें करके अर्न्तधान,

आज अगर हम लें, नशेड़ियों के मार्मिक
गतिविधियों का संज्ञान,
तो देर नहीं हम सभी देखेंगे,
सामाजिक जीवन में होते सुन्दर कल का निर्माण,
असंभव नहीं लगता, अगर कर लें जिद्द तो
सहयोग करेगा हमारा भी मनोविज्ञान,
नशे की लत की सच्चाई ये है कि तबाही लाकर यह जीवन
कर देता है वीरान,
बदल डाले अपनी सोच और दृष्टि को,
तो व्यसनी भी हो सकता है वीरवान,
नादान ना बनो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानों, रखकर
प्रभु का ध्यान,
मादक द्रव्यों के नशे से जीवन को,
मुक्त रखने में ही है लोक–कल्याण ।

अजय कुमार
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर

माँ

क्या है कि बदलती नहीं माँ की छाया,
क्यों नहीं कोई माँ सी लकीर खींच पाया।
ख़ुद ख़ुदा भी हर सू ख़ुद को रखना चाहा,
शायद तभी उसने माँ को बनाया।
क्या है कि बदलती नहीं माँ की छाया,
क्यों नहीं कोई माँ सी लकीर खींच पाया।
सुकून देखना हो तो देखो उस बच्चे का चैन से सोना,
पाकर अपनी माँ की आँचल का साया।
क्या है कि बदलती नहीं माँ की छाया,
क्यों नहीं कोई माँ सी लकीर खींच पाया।
रोना बच्चे का और कारण माँ का जान जाना,
पहेली कोई विज्ञान भी ढूंढ न पाया।
क्या है कि बदलती नहीं माँ की छाया,
क्यों नहीं कोई माँ सी लकीर खींच पाया।
वो तुतलाना बच्चे का और माँ का सब कुछ समझ जाना,
वो बेख़ौफ माँ के साए में बढ़ना और बड़े होकर माँ को
ठुकराना।
फिर भी माँ का औलाद की सलामती में हाथ फैलाना।
दया और क्षमा की ये परिभाषा कोई नहीं गढ़ पाया।
क्या है कि बदलती नहीं माँ की छाया,
क्यों नहीं कोई माँ सी लकीर खींच पाया।

सुशील कुमार वर्मा
अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
लखनऊ

जिसको है अपने जीवन से प्यार। वो ड्रग्स से करे इन्कार।।

सर्वप्रथम बचपन से ही बच्चों में ऐसे संस्कारों का निर्माण करना चाहिए कि वह बुरी संगत से अपने को बचाये रखें तथा परिवार में ही ऐसा खुशनुमा माहौल बनाना चाहिए कि व्यक्ति दुर्व्यसनों से बचा रहे। यदि व्यक्ति ड्रग्स का शिकार हो जाये तो वह परिवार आदि की परवाह नहीं करता है तथा इतना अधिक बैचेन हो जाता है कि जब तक वह ड्रग्स का नशा नहीं करता है तब तक वह मरणासन्न की स्थिति में रहता है। ड्रग्स लेने से व्यक्ति को लोगों की प्रताड़ना सहनी पड़ती है तथा लोग उसे बुरी नज़र से देखते हैं। यहाँ तक कि घर परिवार वाले भी उससे नाता तोड़ देते हैं। आज हम अपने चारों ओर ड्रग्स के आदियों को देखते हैं। अगर इन्सान एक बार ड्रग्स की चपेट में आ जाता है तो उसे उस चपेट से बाहर निकालना ऐसा होता है जैसे भागीरथी प्रयास कर गंगा को धरती पर लाना। ड्रग्स ना ही हमें सिर्फ शारीरिक तौर से नुकसान करते हैं बल्कि मानसिक तौर से भी नुकसान पहुँचाते हैं।

आजकल बड़े तो क्या बच्चे भी ड्रग्स के आदि होते जा रहे हैं। मुख्य कारण जिनकी वजह से बच्चे एवं युवा पीढ़ी ड्रग्स सेवन के आदि होते जा रहे हैं।

* दोस्तों के दबाव के कारण।
* ड्रग्स लेने के प्रभाव को देखने की उत्सुकता के कारण।
* परिवार के नज़रअंदाज़ किए जाने के कारण।
* खुद को दूसरों के सामने हीरो दिखाने की चाहत में।
* दूसरों को अपना शाहीपन (मंहगे शौक) दिखाने के कारण।

यदि हम किसी इंसान की ड्रग्स लेने की आदत को छुड़ा पाते हैं तो यह किसी हारती हुई जंग को जीतने जैसा होता है। आजकल सरकार और कई संस्थायें इन सब चीजों को काबू करने में जुटी हुई हैं। कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रग्स के आदियों की यह आदत छुड़ाने के लिये हर साल 26 जून को अन्तर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस मनाया जाता है।

निकुंज दानवानी
सुपुत्री श्री हरिकिशन दानवानी, निरीक्षक

कौओ की सभा

कोटा में बादलों से आच्छादित गगन में संध्या सुंदरी अपना आंचल फैला रही है। एक घने वृक्ष की शाखाओं पर बैठे कुछ कौवे आपस में विचार–विमर्श कर रहे हैं। उनके विचार विमर्श का सामान्य जीवन की कुछ समस्याएँ हैं।

'भाईयों सत्य कहता हूँ, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं।'

दूसरो–'परंतु क्यों?'

उस कौवे ने संभलते हुए विश्वास भरे शब्दों में कहा 'जैसा कि तुम सबको विदित होगा, आजकल हमारे देश में खाद्यानों की कमी है परंतु हम सब, सभी मैस के नौकरों की उदारता पर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं जो कि पैतृक संपत्ति की तरह हमें आलू और रोटी लुटाते हैं।

एक साहब और जो कि नेताजी की मूर्ति की चोटी पर बैठकर अपनी चोंच तेज कर रहे थे, उठकर अनायास ही सभा में आ गए और कहने लगे–'मैं अपने साथ घटित घटना के बारे में सबको अवगत कराना चाहता हूँ'।

'अरे, जरा मेरी भी तो बात सुनो, एक ने कहा, सामने जो सफेद मंदिर दिखाई पड़ता है उस पर मैंने कई बार बैठने का प्रयास किया, परंतु हाय। उस गोले फेंकने वाले के कारण मैं कभी सफल ना हो सका। अरे, उस पर बैठने से क्या रखा है। बैठने का वास्तविक आनंद तो छोटी–बड़ी घड़ी की टहनियाँ पर हैं जो कि कभी ऊपर नीचे झुकती चली जाती हैं।

एक कमज़ोर कौआ सभी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, बोला 'निरंतर कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, यहाँ सप्ताह में दो–तीन शाम को बड़ा शोर होता है एक सभी लड़के लड़कियाँ वहाँ जाकर बैठते हैं, उस दिन तो हम सब कौवों की नींद हराम हो जाती है। पता नहीं किस जानवर की आवाज़ घंटों सुनाई पड़ती है।

कुछ कौवे दुखि:त होकर बोले कि वृक्षों के कटने के कारण उनके रहने के स्थान संकुचित हो चुके हैं, तभी कॉलेज के टावर ने 7 बजाए और सभी कौवे चौंक कर उड़ गये।

विकास जोशी
उप नारकोटिक्स आयुक्त
राजस्थान, कोटा

जहाँ अहंकार होता है वहाँ ज्ञान लुप्त हो जाता है।

ड्रग्स पर तथ्य साझा करें, जिंदगी बचायें

स्वर्ग के भेष में नर्क की ओर ले जाता है ड्रग्स– डोलन्ड लिन फोर्स्ट

मानवजाति के लिए ड्रग्स का दुर्पयोग एवं इसकी तस्करी एक गंभीर चुनौती रही है। 7 दिसम्बर 1987 के 42/112 के तहत भयंकर महामारी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को अन्तर्राष्ट्रीय नशा के दुर्पयोग एवं अवैध तस्करी के विरूद्ध दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया, जिससे वैश्विक समाज में नशे के दुर्पयोग तथा इसके अवैध व्यापार के विरूद्ध इसके दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित कर सकें। पूरे दुनिया भर में सभी व्यक्तियों, समुदायों तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त होने पर, इस वैश्विक अवलोकन दिवस का लक्ष्य अवैध ड्रग्स के दुर्पयोग के मुख्य समस्याओं के प्रति समाज को जागृत करना है।

नशीली दवाओं का दुरुपयोग किसी पदार्थ को उपयोग करने का एक ऐसा तरीका है, जिसमें उपयोगकर्ता एक मात्रा में ड्रग्स का सेवन बिना किसी चिकित्सा पेशेवरों द्वारा अनुमोदित या ना सलाह के अनुसार करता है। मादक द्रव्य व्यसन, जिसे पदार्थ उपयोग विकार भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क और व्यवहार को प्रभावित करती है और गैरकानूनी या अवैध दवा या दवा के उपयोग को नियंत्रित करने में मजबूर बनाती चली जाती है। मादक पदार्थों की तस्करी एक वैश्विक अवैध व्यापार है जिसमें मादक द्रव्य निषेध कानूनों के अधीन पदार्थों की खेती, निर्माण, वितरण और बिक्री सम्मिलित है।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय ड्रग्स पर तथ्यों को साझा करें, जीवन बचाओ था। इस विषय का उद्देश्य गलत सूचनाओं का चुनौतियों का सामना करना स्वास्थ्य जोखिम और समाधान से लेकर विश्व दवा समस्या से निपटने के लिए, साक्ष्य–आधारित रोकथाम, उपचार और देखभाल और दवाओं पर तथ्यों को साझा करने को बढ़ावा देना है।

संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) द्वारा जारी 2021 की विश्व ड्रग रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 36 मिलियन लोग नशीली दवाओं के उपयोग विकारों से पीड़ित थे और अनुमानित 275 मिलियन लोगों ने 2020 में दुनिया भर में ड्रग्स का इस्तेमाल किया। 2010–2019 के बीच संख्या नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अकेले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर, वर्तमान अनुमान 2030 तक विश्व स्तर पर ड्रग्स का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 11 प्रतिशत की वृद्धि का सुझाव देते हैं। इसके अलावा, 15 से 64 वर्ष की आयु के लगभग 5.5 प्रतिशत आबादी ने पिछले वर्ष में कम से कम एक बार दवाओं का उपयोग किया है। , जबकि 36.3 मिलियन लोग, या दवाओं का उपयोग करने वाले कुल व्यक्तियों का 13 प्रतिशत, नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित हैं।

भारत में राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार मादक द्रव्यों के उपयोग के विस्तार और पैटर्न पर, देश की आबादी का लगभग 2.1 प्रतिशत (2.26 करोड़ व्यक्ति) ओपिओइड का उपयोग करता है जिसमें अफीम (या इसके प्रकार जैसे पोपी स्ट्र), हेरोइन और फार्मास्युटिकल ओपिओइड शामिल हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि 10–75 वर्ष की आयु के लगभग 2.8 प्रतिशत भारतीय (3.1 करोड़ व्यक्ति) सक्रिय कैनबिस उपयोगकर्ता थे।

पिछले कुछ वर्षों में नशीली दवाओं की तस्करी बहुत विकसित हुई है, इंटरनेट, क्रिप्टो–मुद्रा भुगतान और सूचना प्रौद्योगिकी के

आगमन के साथ, अनलाइन बिक्री के साथ दवाओं तक पहुंच भी पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है और डार्क वेबसाइटस पर प्रमुख दवा बाजार अब लगभग 315 मिलियन डालर सालाना कारोबार है।

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई के सामने एक बड़ी चुनौती विशेष रूप से निहित स्वार्थों द्वारा गलत सूचना का लगातार प्रसार है, जो अक्सर युवाओं और कमजोर लोगों को लक्षित करके विभिन्न माध्यमों से झूठ और गलत सूचना फैलाती है। सोशल मीडिया के आगमन के साथ जहां सूचना अक्सर अनियंत्रित और जोखिम होती है, ऐसे तत्वों को उसी में एक मजबूत तरीका मिल जाता है। हाल के रुझानों में से एक जो सभी संबंधितों और चिकित्सा समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कैनाबिस से संबंधित गलत सूचना और झांसे का प्रसार । जहां निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग लगातार कैनबिस के बारे में गलत सूचना फैलाते हैं। कैनबिस आधारित योगों को अक्सर विभिन्न बीमारियों और बीमारियों के लिए एक चमत्कारिक इलाज के रूप में देखा जाता है, जो न तो किसी वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित हैं और न ही चिकित्सा समुदाय द्वारा अनुमोदित हैं। मासूम मरीजों और उनके परिवारों को अक्सर उनकी गाढ़ी कमाई से ठगा जाता है क्योंकि वे इस तरह की ठगों का शिकार हो जाते हैं। यह अक्सर उनके स्वास्थ्य और पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों के लिए हानिकारक होता है।

जैसा कि उपरोक्त बिन्दुओ से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके अवैध यातायात की नापाक प्रवृति मानव जाति के लिए एक लगातार बढ़ता खतरा है। इस बड़े महामारी से निपटने के लिए आइए हम सभी अपने समाज को नशीली दवाओं से मुक्त बनाने और शोध निष्कर्षों, साक्ष्य–आधारित डेटा और जीवन रक्षक तथ्यों को साझा करके एक स्थायी और स्वस्थ दुनिया बनाने की दिशा में योगदान करने का संकल्प लें, जिससे एकजुटता की साझा भावना का उपयोग किया जा सके। हम दवाओं पर केवल वास्तविक विज्ञान–समर्थित डेटा साझा करने और जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए सभी को गलत सूचना और अविश्वसनीय स्रोतों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए।

हेमा कुमार मोगिलि
निरीक्षक

एक किताब लिखेंगे

मैंने सोचा है कि एक किताब लिखेंगे
जिसमें दर्द बेहिसाब लिखेंगे
बुनकर जिसमें कोई खूबसूरत, ख्वाब लिखेंगे
कलम पकड़ कर हाथों में
मनचाही हर बात लिखेंगे
अकेले हो कर भी
सबका साथ लिखेंगे
मैंने सोचा है कि एक किताब लिखेंगे

सूरज कुमार वर्मा
निरीक्षक, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त
लखनऊ (उ.प्र.)

शिक्षा की जड़ कड़वी है परन्तु उसके फल बहुत मीठे हैं।

स्वापक औषधियाँ एवं इसके प्रकार

नारकोटिक्स क्या है

कोई भी पदार्थ या तो प्राकृतिक या सिंथेटिक, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, उसे नारकोटिक्स कहा जा सकता है। दर्द और पीड़ा से राहत के लिए कई नशीले पदार्थों को अपरिहार्य माना जाता है। शरीर के विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए भी मादक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है।

स्वापक औषधियों का वर्गीकरण

नारकोटिक ड्रग्स को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. प्राकृतिक स्वापक औषधियाँ :– ये औषधियाँ वें हैं, जो पौधों से प्राप्त होती हैं। वे इस प्रकार हैं:

(अ) अफीम: अफीम, भारत में औषधीय प्रयोजनों के लिए मॉर्फिन, थिबेन, कोडीन और उनके डेरिवेटिव जैसे अल्कलइड के निष्कर्षण के लिए भारत में वैध रूप से उगाया जाने वाला पौधा है। कच्चे रूप में और साथ ही हेरोइन में रूपांतरण के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। यह अचेतनता या अवसाद का कारण बनता है।

(ब) कोका का पौधा– यह मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे कोलंबिया, पेरू, बोलीविया आदि के एंडियन क्षेत्र में उगाया जाता है। इस पौधे से प्राप्त मुख्य अल्कलइड कोकीन है। कोकीन के सूखे पत्तों को चबाया जाता है और यह उत्तेजक होता है।

(स) कैनबिस– यह एक जंगली पौधा है और प्राय: दुनिया में हर जगह पाया जाता है। राल (रस) या गांजा का बड़ा हिस्सा इसके फूलों के शीर्ष से प्राप्त होता है। हशीश या चरस भी भांग के पौधे की राल (रस) से प्राप्त होता है। इसे भांग के मादा पौधे के फूलों के शीर्ष से बनाया जाता है। यह हेलुसीनोजेनिक (मतिभ्रम करने वाला) है।

2. अर्ध–सथेटिक औषधियाँ :– इन्हें निमत स्वापक औषधि के रूप में जाना जाता है, यानी ये कृत्रिम रूप से दवाओं या पौधों से प्राप्त अल्कलइड से निमत होते हैं। इस समूह के अंतर्गत हेरोइन, कोकीन, कैथीन आदि को वर्गीकृत किया गया है। इन दवाओं का निर्माण प्रीकर्सर केमिकल्स और पौधों से प्राप्त एल्कलइड का उपयोग करके किया जाता है।

3. सथेटिक ड्रग्स:– इन्हें साइकोट्रोपिक पदार्थ यानी ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। सथेटिक ड्रग्स पूरी तरह से रसायनों के उपयोग से निमत होता है। इनमें उत्तेजक पैदा करने वाले पदार्थ जैसे एम्फ़ैटेमिन टाइप स्टिमुलेंट (एटीएस), मेथामफेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट (एमटीएस) तथा अवसाद उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे मेथिलीन डाइअक्सी मेथ एम्फ़ैटेमिन (एमडीएमए), डि–हाइड्रो लिसेजक एसिड (एलएसडी) आदि शामिल हैं। इन दवाओं के भी विभिन्न चिकित्सीय उपयोग हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा के आधुनिक चिकित्सकों द्वारा इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

नारकोटिक ड्रग्स को पुन: मनोत्तेजक, अवसाद और मतिभ्रामक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है–

(अ) मनोत्तेजक पदार्थ: ये दवाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को तेज करके सतर्कता की भावना या उत्तेजना पैदा करती हैं। जिन दवाओं को इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है वे हैं कोकीन, एम्फ़ैटेमिन प्रकार के मनोत्तेजक आदि।

(ब) अवसाद: ये दवाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को धीमा करके चेतनाशून्य कर देती हैं। इन श्रेणियों के तहत दवाएं ओपियेट्स, बाबटुरेट्स और बेंजोडायजेपाइन, मेथाक्वालोन आदि हैं।

(स) हेलुसीनोजेन्स: ये दवाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं जिससे अवधारणात्मक परिवर्तन, तीव्र और अलग–अलग भावनात्मक परिवर्तन, अहंकार विकृतियां और विचार व्यवधान उत्पन्न होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली दवाएं मारिजुआना, एलएसडी, पीसीपी, मेस्कलाइन आदि हैं।

सेमी–सिंथेटिक ड्रग्स और सथेटिक ड्रग्स का निर्माण रसायनों का उपयोग करके किया जाता है। इन दवाओं का दुरुपयोग दुनिया भर में प्रमुखता से बढ़ा है और यह आवश्यक है कि नवोदित अवस्था में इस खतरे को समाप्त कर दिया जाए, इसलिए, यह आवश्यक है कि मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के गुप्त निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायनों की निगरानी और विनियमन किया जाए।

प्रिकर्सर रसायन

ऐसे रसायन जिनमें मादक औषधियों, मनोदैहिक पदार्थों और अन्य पूर्ववतयों के अवैध निर्माण में दुरूपयोग/दुरुपयोग की संभावना होती है, प्रिकर्सर रसायन कहलाते हैं। इन रसायनों का फार्मास्युटिकल और रासायनिक उद्योग में व्यापक वैध उपयोग है।

भारत में एक बड़ा जीवंत, विकसित और बढ़ता हुआ रसायन और औषधि उद्योग है। फार्मास्युटिकल और केमिकल इंडस्ट्री के तेजी से विकास ने भारत को इन प्रिकर्सर केमिकल्स का एक प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक और आयातक भी बना दिया है।

शालिनी दुबे
कनिष्ठ अनुवादक

मन के संकल्प

जब सारे जग का हित तेरे मन में समाया,
रे किसान तूने अन्न के साथ अफीम उपयाजा।
फिर तुझे किसने है बहकाया,
जो इसे 'संजीवनी' से ज़हर में बदलवाया।
तूने तो मात्र कुछ सिक्के ही पाये
पर तुझे नहीं पता कितने जीव इसके बदले मिटाये।

रे किसान तू तो अन्नदाता है प्राणी मात्र का,
तुझे कहाँ लगाव था व्यापारों से।
फिर क्यों भटक गया है तू,
और करने लगा है सौदा अफीम का मौत के सौदागरों से।

हमें याद है तेरा ईमान और कार्य महान
आसमां पर सृजनहार–भगवान धरती पर पालनहार किसान।

सौदा सच्चा करो 'अफीम' का
आज तुझे पुकारता है सारा हिन्दुस्तान,
बचा लो कहीं 'खण्डित' न हो जाये
नारा 'जय जवान, जय किसान'।।

हरिकिशन दानवानी
निरीक्षक
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा

क्यों नहीं बन पाई हिन्दी ज्ञान-विज्ञान की भाषा

देश की आज़ादी से बहुत पहले ही जिज्ञासा में रहा तथा यह एक चर्चा का गंभीर विषय भी रहा कि भारत की राष्ट्रभाषा किसे माना जाए। तब हिन्दी एक ऐसी भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, जिसके जरिए पूरे देश के एक सूत्र में बंधने की संभावना थी। कई लेखकों, साहित्यकारों व रचनाकारों ने मिलकर हिन्दी को मज़बूत करने का काम किया। सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने हिन्दी का प्रचार देशभर में पूरे जोर-शोर के साथ किया। जिसमें मेरी नज़र में सबसे ऊपर नाम राष्ट्रभक्त सरदार बल्लभ भाई पटेल का आता है। जिन्होंने अपने अथक प्रयासों और बुद्धिमानी से हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने में मददगार रहे। समय के साथ हिन्दी पूरे देश की एक संपर्क भाषा के रूप में जरूर विकसित हुई और इसकी देश को एक सूत्र में बांधने में अहम् भूमिका रही, लेकिन शिक्षा जगत में खासकर उच्च शिक्षा में, इसे माध्यम के रूप में पूरे उत्साह से कभी नहीं स्वीकारा गया।

कुछ बुद्धिजीवी लोग मानते हैं कि हिन्दी ज्ञान-विज्ञान की भाषा नहीं बन पाई, इसका कारण ऐतिहासिक भी है। वे कहते हैं कि भारत में विश्वविद्यालय व्यवस्था औपनिवेशिक हस्तक्षेप के कारण विकसित हुई, इसलिए उच्च शिक्षा का माध्यम अंगेंजी रहा। उच्च शिक्षा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम थी, जिसको तब स्वभाविक माना जाता था और यह उचित माना जाता था कि हर कोई उच्च शिक्षा नहीं पा सकें। इसलिए कुछ लोगों ने अपनी विशेष सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण अंग्रेजी का अभ्यास कर लिया और इस विषय पर विचार भी नहीं किया गया कि किस तरह से उच्च शिक्षा में हिन्दी का प्रयोग हो, ताकि यह दूसरे लोगों की पहुँच में भी आ सके।

दिल्ली विश्वचिद्यालय में हिन्दी के जाने-माने प्राध्यापक प्रो. अपूर्वानंद के अनुसार आजादी से पहले जहाँ एक तरफ औपनिवेशिक सत्ता का विरोध चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तब स्थापित होने वाले काशी हिन्दू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी अंगेजी माध्यम में ज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध थे। राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवा रहे महामना मदन मोहन मालवीय हों या सर सैयद अहमद खान, अंग्रेजी माध्यम पर बहुत ज़ोर देते थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज के पिछड़ने का कारण उनका आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से अपरिचित होना है और इसलिए उन्हें लगा कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को आत्मसात करते रहें। विचार का यह सिलसिला लगातार बना रहा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय किसी ने भी भाषाओं के इस जनतांत्रिक पक्ष पर कभी सोचा नहीं कि भारतीय भाषाओं के जरिए यह कैसे जन-जन तक पहुँचे।

यहाँ यह भी कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश के हर कोने में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं जो भी हिन्दी के प्रसार की एक अहम बाधा की ओर संकेत करते हैं और वह है राजनीतिक फायदे के लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का अनावश्यक प्रयोग। हम यह

नहीं कहते कि अपनी मातृ भाषा को आप छोड़ दें। मातृ भाषा जानना हम लोगों का कर्त्तव्य है, पर उसके मेल से अपनी बोलचाल की हिन्दी को दुर्बोध करना मुनासिब नहीं। हम हिन्दी में कोई लेख या पुस्तकें प्रकाशित करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि जो कुछ उनमें लिखा गया है वह पढ़ने वाले की समझ में आ जाए। अपने वाह वाही के लिए भाषा को क्लिष्ट नहीं करना चाहिए, जिसे कोई पढ़ न सके और उसे समझ न सके। जहाँ तक हो सके संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के जो शब्द प्रचलित हो गए हैं, उनका प्रयोग हिन्दी में होना ही चाहिए। वे सब अब हिन्दी के शब्द बन गए हैं। उनसे घृणा करना उचित नहीं होगा।

यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि हम लोग मंत्रालय आदेश या कार्यालय आदेश को ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में ही देखते हैं और उसमें खासकर यह भी अंकित किया जाता है कि हिन्दी संस्करणों में परस्पर विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण ही अधिमान्य होगा। तब हमें अपनी भाषा की हीन अवस्था को देखकर बहुत दु:ख और आश्चर्य होता है और ऐसा करके हम न सिर्फ खुद का, बल्कि अपनी मातृभाषा, अपनी प्रांतीय भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा और अपनी राजभाषा का भी घोर अपमान कर रहे हैं। अंग्रेजी सीखने–बोलने में कतई कोई बुराई नहीं हैं। लेकिन हमें यह भलीभांति समझने की जरूरत है कि अपनी भाषा को दरकिनार करके, किसी पराई भाषा के बूते हमारी स्थाई और सशक्त पहचान कदापि नहीं बनने वाली और न ही किसी पराई भाषा में हम अपनी मौलिक एवं जातीय अस्मिता तलाश सकते हैं। हमें अंग्रेजी नहीं जानने–बोलने के कारण नहीं बल्कि हिन्दी या अपनी मातृभाषा नहीं जानने–बोलने के कारण शर्मिंदा महसूस करने करने की ज़रूरत हैं।

सूरज कुमार वर्मा
निरीक्षक, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त
लखनऊ (उ.प्र.)

रुको तो सही

रुको तो सही एक पल को
महसूस करो कभी ज़िंदगी को,
करो स्पर्श कभी नन्हीं कली को,
तो कभी पाँवों तले पड़ी सूखी पत्तियों को,
पी लो बारिश की बूँदे
कि इन्हें यूँ ही ना बह जाने दो,
आओ चलायें फिर से नाव पानी में,
किसी कश्ती को साहिल तक पहुँचायें,
फैला के बांहें अपनी,
समेट लो सारा आकाश अपने दामन में,
वक़्त बिताओ ख़ुद के साथ भी,
यूँ भी वक्त किसे पास है,
यूँ ही मुस्कुराओ बिना वजह,
क्योंकि खुशी का कोई पैमाना नहीं
रुको तो सही एक पल को
महसूस करो कभी ज़िंदगी को

श्रीमती रूचि शर्मा
अवर श्रेणी लिपिक
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, लखनऊ

थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है।

अंगदान - महादान

श्रीमान, मुझे आज भी याद है वह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था जब मुझे भारत सरकार के केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों में निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने अन्य खिलाड़ी साथियों की तरह मुझे भी 'खेल-कूद कोटे' के अंतर्गत बैडमिन्टन के खेल में मेरी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर अर्जित उपलब्धियों के आधार पर नौकरी मिली थी। मैने वर्ष 1997 में कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच (मध्य प्रदेश) में निरीक्षक का पद ग्रहण किया था तथा कुछ ही समय पश्चात मेरा स्थानान्तरण, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त लखनऊ में हो गया। अपने पदीय दायित्वों के साथ-साथ मैंने राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिन्टन खेलते हुए उत्तर क्षेत्र केन्द्रीय राजस्व खेल प्रतियोगिता व अखिल भारतीय केन्द्रीय राजस्व खेल प्रतियोगिता में पदक जीतकर खेल के क्षेत्र में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर को एक नई पहचान दिलाई।

अंगदान से मिला नया जीवन

इसी दौरान मेरे जीवन में एक पल ऐसा भी आया जब मेरी आँखों के सामने अँधेरा सा छा गया। मुझे लगा कि मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष हैं। ज़िन्दगी का कठोर स्वरूप मेरे सामने आया। मुझे पता चला कि मैं गुर्दा रोग से ग्रसित हो गया हूँ। मेरे साथ-साथ मेरे परिवार पर भी दु:ख का असीम पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया? और मेरे साथ मेरी किडनी डायलिसिस शुरू हो चुकी थी और मैं अपने पसन्दीदा खेल बैडमिन्टन से दूर हो चुका था। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मेरे जीवन का बचाने के लिए गुर्दा प्रत्यारोपण (किडनी ट्रांसप्लांट) ही एकमात्र रास्ता था और इसके लिए परिवार के किसी सदस्य को अपना गुर्दा दान करना था। ऐसे कठिन व विपरीत परिस्थितियों में मेरे परिवार के साथ-साथ विभाग ने मेरा साथ दिया। मुझे आज भी याद है, मेरे दोनों छोटे भाईयों में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था कि भईया को किडनी मैं दूँगा। अंतत: मेरे मंझले भाई ने मुझे अपना गुर्दा दान देने का निश्चय किया और वर्ष 2001 में मेरे संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ। मेरे छोटे भाई ने मुझे अपना गुर्दा दान देकर मेरे साथ-साथ परिवार को भी इस गंभीर विपत्ति से बाहर निकालकर मुझे नई ज़िन्दगी दी। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मैं यही सोचता रहता था कि अब जीवन में आगे क्या होगा और फिर कभी ज़िन्दगी में बैडमिन्टन कोर्ट पर वापस नहीं लौट पाऊँगा। धीरे-धीरे समय बीतता गया, परन्तु बैडमिन्टन के प्रति मेरा मोह कम नहीं हुआ। जब भी समय मिलता, मैं के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ जाता, कुछ देर बैठता, खिलाड़ियों को खेलते हुए देखता और फिर घर वापस आ जाता था।

गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद अर्जित उपलब्धि एवं मिला सम्मान

एक दिन नियमित चिकित्सीय परीक्षण के दौरान मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने चिकित्सक से पूछा क्या मैं फिर कभी बैडमिन्टन खेल पाऊँगा? तो उन्होंने कहा हाँ! आप बैडमिन्टन खेल सकते हैं और इस तरह मुझे एक बार फिर आशा की नई किरण जगी और मैंने एक बार पुन: बैडमिन्टन खेलना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे जानकारी मिली कि विश्व स्तर पर अंग प्रत्यारोपण वाले व्यक्तियों के लिये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन (डब्ल्यूटीजीएफ) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के विभिन्न देशों में वर्ल्ड ट्रांसप्लान्ट गेम्स आयोजित किये जाते हैं। जिसमें बैडमिन्टन, एथेलेटिक्स, साईकिलिंग, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, तैराकी सहित विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। विश्व के सभी प्रमुख देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जापान, मलेशिया एवं सिंगापुर आदि अनेक देश इसमें भाग लेते हैं। यह खेल वर्ष 1978 से हर दो वर्ष के अंतराल पर विश्व के विभिन्न देशों द्वारा आयोजित किये जाते हैं। इन खेलों में वही लोग भाग ले सकते हैं जिनके शरीर के किसी न किसी अंग का प्रत्यारोपण हो चुका हो जैसे-किडनी, लीवर, हार्ट एवं पैंक्रियाज़ आदि। इन खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व में अंग दान (ऑर्गन डोनेशन) को बढ़ावा देने के साथ-साथ अंग प्रत्यारोपित कराये व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) से अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस जानकारी के आधार पर मुझे पता चला कि वर्ष 2013 में 19वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन में आयोजित होने वालें हैं जिसमें भाग लेने के लिये मैंने बैडमिन्टन का अभ्यास करना पुन: प्रारम्भ किया और और इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बैडमिन्टन की युगल प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता। वह दिन मेरी ज़िन्दगी का सर्वश्रेष्ठ दिन था मेरी आँखों में खुशी के आँसू छलक पड़े थे कि मैंने पहली बार

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए पदक जीता। उस समय की अनुभूति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं भी भारत का तिरंगा झण्डा लिए अन्य देशों के खिलाड़ियों के साथ मंच पर खड़ा था, उस समय मुझे अपने देश के साथ-साथ अपने भाई, परिवार तथा विभाग पर गर्व महसूस हो रहा था, जिनकी वजह एवं प्रयासों से मैं यहाँ तक पहुँचा था।

भारत वापसी पर मुझे तत्कालीन श्रीमान नारकोटिक्स आयुक्त महोदय श्री विजय कलसी द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिनांक 26 जनवरी 2014 को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों के मुख्यालय, ग्वालियर में सम्मानित किया गया तथा मेरी इस उपलब्धि पर सर्टिफिकेट ऑफ कमेन्डेशन भी प्रदान किया गया। मेरे लखनऊ वापसी पर वहाँ के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों ने मेरी इस उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इस उपलब्धि का श्रेय मैंने अपने भाई को दिया जिसने अपना गुर्दा दान देकर न केवल मेरे जीवन को बचाया अपितु खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी किया। वर्ष 2013 की भाँति वर्ष 2015 में भी मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 20वीं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स जो कि अर्जेन्टीना के शहर 'मार डेल प्लाटा' में आयोजित किए गए थे, उसमें भारत के लिए बैडमिन्टन की एकल स्पर्धा में रजत तथा युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ-साथ अपने विभाग का भी नाम रोशन किया।

वर्ष 2018 के अंत में ज़िन्दगी ने मुझे एक बार पुन: झटका दिया। नियमित जाँच के दौरान मुझे पता चला कि मेरा गुर्दा काम नहीं कर रहा है और धीरे-धीरे खराब हो रहा है। मेरी आँखों के सामने फिर से वह भयावह दृश्य घूम गया। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। इतनी आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक कठिनाईयाँ झेलने के बाद ज़िन्दगी दोबारा पटरी पर लौटी ही थी कि एक बार फिर वापस मैं उसी मोड़ पर आ गया। एक बार फिर से जीवन को बचाने की जद्दोजहद सामने खड़ी थी। वर्ष 2011 की भाँति गुर्दा प्रत्यारोपण ही एक मात्र रास्ता था। ऐसे कठिन और मुश्किल हालात में मुझे मेरे पत्नी के भाई का सहारा मिला। उसने अपनी शादी होने के बावजूद अंगदान से प्रेरित होकर मुझे अपना गुर्दा दान दिया और मेरे जीवन एवं परिवार को इस गंभीर संकट से बचाया। मैं आजीवन उसका आभारी रहूँगा।

अंगदान का महत्व

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को बढ़ावा देने हेतु अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर ज़ोर दिया है, जिससे कि समाज में अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा मिल सके तथा अंगदान के प्रति समाज के लोगों को जागरुक किया जा सके और लोग अधिक से अधिक अंगदान की ओर प्रेरित हो सके एवं अंगदान के माध्यम से एक जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। विश्व में अंगदान दिवस (ऑर्गन डोनेशन डे) प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में इस दिन देश के विभिन्न शहरों में सरकार के साथ-साथ निजी अस्पतालों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अंगदान के लिए केन्द्रीय स्तर पर नेशनल ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (एनओटीटीओ) का गठन किया गया है। जिस पर अंगदान करने का इच्छुक व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है। इसी तरह प्रादेशिक स्तर पर स्टेट ऑर्गन एण्ड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (एसओटीटीओ) का गठन किया गया है। अंगदान के माध्यम से एक व्यक्ति के शरीर द्वारा छ: व्यक्तियों की ज़िन्दगी में उजाला लाया जा सकता है। शरीर के छ: अंगों जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज़, लंग्स एवं आँखों का दान किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण के बाद व्यक्ति सामान्य जीवन जीकर अपने-अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके समाज में अपना योगदान दे सकता है।

धर्मेन्द्र कुमार सोती

अधीक्षक, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, लखनऊ

जीवन की परिभाषा है हिन्दी

जन–जन की भाषा है हिन्दी।
भारत की आशा है हिन्दी।।
जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है।
वो मज़बूत धागा है हिन्दी।।
हिन्दुस्तान की गौरवगाथा है हिन्दी।
एकता की अनुपम परम्परा है हिन्दी।।
जिसके बिना हिन्दी थम जाए।
ऐसी जीवन रेखा है हिन्दी।।
जिसने काल को जीत लिया है।
ऐसी कालजयी भाषा है हिन्दी।।
सरल शब्दों में कहा जाए तो।
जीवन की परिभाषा है हिन्दी।।

अन्वेशा वर्मा
पुत्री श्री राम आसरे
प्रशासनिक अधिकारी

सपनों में रख आस्था

सपनों में रख आस्था कर्म तू किए जा।
त्याग से न डर आलस परित्याग किए जा।।

गलती कर न घबरा।
गिरकर फिर हो जा खड़ा।।

समस्याओं को रास्तों से निकाल दे।
चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे।।

रख हिम्मत तूफ़ानों से टकराने की।
जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की।।

जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर।
करता रह कर्म मगर साथ में खुदा की इबादत भी कर।।

फिर देख किस्मत क्या–क्या रंग दिखलाएगी।
तुझको तेरी मंजित मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी।।

इशिता वर्मा
पुत्री श्री राम आसरे
प्रशासनिक अधिकारी

क्या लिखूं मैं...

क्या लिखूं मैं
की डूबता हुआ सूरज थम जाए
क्या लिखूं मैं
की अनंत सागर का पानी जम जाए
क्या लिखूं मैं
की श्रोता की धड़कन बढ़ जाए
क्या लिखूं मैं
की कमल भी पर्वत पर उग जाए
क्या लिखूं मैं
की हर कोना इत्र सा महक जाए
क्या लिखूं मैं
की हर पत्थर भी कस्तूरी बन जाए
क्या लिखूं मैं
की कौआ भी कोयल-सी हो जाए
क्या लिखूं मैं
की हर पुरुष नारी के आगे नतमस्तक हो जाए
क्या लिखूं मैं
की आलोकित सा एक जादू हो जाए
क्या लिखूं मैं
की बंजर भूमि भी उर्वर बन जाए
क्या लिखूं मैं
की कोरा कागज़ भी हीरों सा जगमग हो जाए
क्या लिखूं मैं
की रंजीदा वन में भी गीतों सा सुर भर जाए
क्या लिखूं मैं
की मदिरा भी अमृत सी पारस हो जाए
क्या लिखूं मैं
की मेरे शब्द भी गंगा से पावन हो जाए

कृति नवी
पुत्री अजय शंखवार, निरीक्षक

बगिया के दो सुंदर माली

इस जीवन बगिया के दो सुंदर माली
दोनों है अनमोल, करते-रहते रखवाली।
मां के आंचल में दूध-ममता की मिलती छांव
पिता के कंधे पर हो सवार देखी दुनियां की ठांव।
मां देती दुलार-प्यार भरपूर सजाती संवारती खिलाती
पिता ले आते लक्ष्मी, घर रोशनी खिलखिलाती।
बचपन का नाजुक समय उड़ता-हंसता-पलता
बेलियों-सी इठलाता चढ़ता-बढ़ता, रस पाता।
बचता है हर पल बुरे समय बुरी निगाहों से
ले दुआ मां-बाप की चल सच की राहो पे।
निकाल लाती मुश्किलों के सागरों से
आशीर्वाद मां-बाप की ढाल बनती दीवारों से।
आशीष ले प्रत्यक्ष भगवानों का, भर हिम्मत और बल
अधीर-विकल ना हो जिन्दगी, चलते रहो प्रतिपल।
बड़ी परिश्रम से सींचा है इस बगीये के फूल को मिल दो संगी
बेसमय तोड़ ना देना, लड़ लेना हर तंगी।
दबाव में, रूठ कर ना दे जिंदगी का गला घोंट
हर आने वाली बाधा पर कर चोट पर चोट।
होगी नई सुबह फिर खुशियां बरसेगी
मां-बाप की गोद यूं-सूनी हो ना तरसेगी।

शालिनी दुबे
कनिष्ठ अधिकारी अनुवादक
मुख्यालय, ग्वालियर

कलह पर विजय पाने के लिए, मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है.

मरू राही

दूर–दूर तक, चारों ओर सिवाय रेत के कुछ नहीं। रेगिस्तान ही रेगिस्तान। ऊषा की शीतलता। एक अजीब, भयभीत कर देने वाला सन्नाटा, अत्यंत अकेलेपन का द्योतक जिसे महसूस कर शरीर का एक–एक जर्रा सिहर उठे। पूरब में रवि की किरणें दिखी, प्रकाश भरा, ललाई स्वर्ण रंग में परिवर्तित हो गई और फिर सूर्य देवता का उदय हुआ, देखते ही देखते वहीं शीतल वसुंधरा जिसकी रेतीली गोद में वह राही सोया था, एक झुलसती हुई भट्टी बन गई।

राही अपनी राह पर गिरता पड़ता चला। उसकी दशा अवर्णनीय थी। दयनीय, दुखी, परेशान। वस्त्र क्या थे, केवल नाम मात्र थे, फिर भी चल रहे थे, नहीं घसीटते जा रहे थे। बदन सूखकर कांटा हो गया था, अस्थि पंजर रह गया था। किंतु मुसाफिर का मुख। उसके हृदय का दर्पण। दृढ़ता थी उस मुख पर, आशा थी उस मुख पर। होंठों को भींचे आगे बढ़ चला जा रहा था। न शरीर का बोध, न उस झुलसती धरा का, न दिनेश के भीषण प्रकोप का बोध, सबका मानों कोई अस्तित्व ही नहीं हो।

कहाँ अटूट रह सकती थी यह सहनशीलता? राही के मस्तिष्क पर हल्की–हल्की पीड़ा की सिलवटें दिखने लगी। उसके नेत्रों का तेजस्व पिघलने लगा। आशा की घटा पर निराशा छा गई। दृढ़ता का स्थान भय ने ले लिया। कंठ सूख गए, जल तृष्णा ने घेर लिया। कदम लड़खड़ाने लगे। अब पागलों की तरह चलने लगा, चारों ओर भयभीत निगाहों से देखता हुआ। कुछ नहीं। केवल दूर तक फैला हुआ रेतीला समुद्र।

राही कभी दौड़ता, कभी चलता, कभी गिर पड़ता, संभल कर फिर चलता, थक कर चूर हो गया वह। उसके हृदय में केवल एक विचार था, एक प्रार्थना थी–जल। बुरी तरह से हाँफ रहा था।

वह बड़ी कठिनाई से एक टीले पर रेंगता हुआ पहुँचा। यह क्या! ईश्वर ने अपनी असीम कृपा का प्रमाण दिया। राही ने देखा– समीप ही एक नखलिस्तान था। डूबते को तिनके का सहारा मिला। उसके मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, वह उठा और भागा, बेतहाशा भागा, पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा, औंधे मुँह, जलती हुई रेत पर। उसने साहस न खोया, रेंगता हुआ, हँसता हुआ जल स्त्रोत तक पहुँच और अपना मुँह शीतल पानी में डुबो दिया।

आज के विद्यालय और महाविद्यालय भी एक ऐसे ही नखलिस्तान हैं, इस अज्ञान रूपी रेगिस्तान में। ज्ञान की खोज में, ज्ञान की पिपासा लिए, मनुष्य अपनी प्यास यही बुझाता है, इसी ज्ञान भंडार से, माँ सरस्वती के चरणों में।

रश्मि जोशी

पत्नी श्री विकास जोशी

उप नारकोटिक्स आयुक्त, राजस्थान, कोटा

सार्थक एवं सफल जीवन की परिभाषा

मानव जीवन में सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं बताई जा सकती है। मदर टेरेसा एवं कैलाश सत्यार्थी जी के लिए जीवन की सफलता समाज सेवा तथा परोपकार करने में थी तो धीरूभाई अंबानी जी के जीवन में पचास रूपये से करोड़ों का सफल तय करने में थी। अपितु मनुष्य के जीवन की सार्थकता तभी है यदि वह अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो। लगातार आगे बढ़ते रहना एवं निरंतर परिश्रम के माध्यम से अपने तथा दूसरों को नुकसार न पहुँचाते हुए जीवन में सुख प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता है।

वेदों में कहा गया है–

सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया,

सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चित् दुःखभाग भवेत्।

अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का जीवन सुखमय हो तथा दुःखों का नाश हो। वेदों में बताए गए जीवन के इस मूलमंत्र को यदि व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर ले तो वह अपने जीवन में सार्थकता हासिल कर सकता है।

आज की जीवनशैली ने इंसान को लालची तथा स्वार्थी बना दिया है। दिखावे में डूबा मनुष्य अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सुख–सुविधा के साधन इकट्ठा कर दुनिया में श्रेष्ठ दिखने में यह तो भूल ही गया है कि इनसे ऊपर उठकर परोपकार की भावना रखते हुए जरूरतमंदों की सहायता करना एवं समाज की सेवा करना भी उसका कर्त्तव्य है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता केवल धन अर्जित करने नहीं अपितु समाज के प्रति सहिष्णुता दिखाते हुए दूसरों का भला करना भी है।

योग, अध्यात्म, समाज कल्याण– यह वे क्रियाएँ हैं जो मनुष्य को जीवन बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। जीवन में शाति एवं संतोष की भावना, योग एवं अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। परंतु आज कल की भाग–दौड़ वाली जीवन शैली में खोया मनुष्य इन मूल–भूत बातों को भूल सा गया है। केवल स्वयं के जीने में भला कैसी सफलता? अथवा गलत तरीके से कमाए धन भला जीवन को क्या सार्थकता दे सकते हैं? इन संदर्भ में यह पंक्तियाँ शायद आज के मनुष्य को संदेश देने के लिए लिखी गई थीं–

सांई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए,

मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाए।

ये पंक्तियाँ आज के मनुष्य की लालसा पर चोट करती हैं। जीवन की सार्थकता केवल धन अर्जन में ही नहीं है। सबसे बड़ी सफलता तो मनुष्य द्वारा अर्जित परोपकार पर निर्भर करती है।

जीवन की सबसे बड़ी सफलता इसी में हैं कि मनुष्य अपने जीवन में सुखी है या नहीं। अगर बहुत धन अर्जित करने पर भी मनुष्य का जीवन दु:ख में तथा कलहपूर्ण बीता हो तो जीवन में सफल होने के बावजूद भी वह मनुष्य असफल ही रहा है।

मनुष्य जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने जीवन में संतुष्ट रहा है या नहीं। चाहे जीवन में सफलता छोटी–छोटी ही हो परंतु मनुष्य के सक्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। जीवन में संतुष्टि ही सबसे बड़ी सार्थकता है।

सफलता की परिभाषा अलग–अलग लोगों के लिए भिन्न–भिन्न हो सकती है। जैसे किसी छात्र के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना सफलता है, एक गृहिणी के लिए घर की सुख–शांति ही सफलता है जबकि किसी डॉक्टर का मरीज़ों को स्वस्थ कर पाना। परंतु अंत में इन सारे प्रकार के सफलता का लक्ष्य यही होता है कि उससे मनुष्य को संतुष्टि एवं सुख की अनुभूति हो। इस सुख की भावना के अभाव में बड़ी से बड़ी सफलता के भी कोई मायने नहीं हैं, और इससे मनुष्य का जीवन निरर्थक हो जाता है।

अत: सार्थक जीवन का सार जीवन में प्रसन्न रहने से है। जीवन की सफलतापूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य ने अपनी क्षमताओं के हिसाब से क्या प्राप्त किया एवं उसने अपनी ज़रूरतें पूरी करके समाज के कल्याण एवं परोपकार के क्या कार्य किए। अपनी जीवन आशामय व्यतीत करते हुए एवं जीवन की उपलब्धियों से संतुष्ट होकर जीवनयापन करना ही सबसे बड़ी सफलता है।

अत: सफल एवं सार्थक जीवन की तो कोई निश्चित परिभाषा तो तय नहीं की जा सकती। यदि मनुष्य अपने जीवन में संतुष्ट रहा हो तथा उसके कारण अभावग्रस्त अथवा ज़रूरतमंदों का कल्याण हुआ हो तो यही मानव जीवन की सार्थकता है।

रिचा मिश्रा

उच्च श्रेणी लिपिक, ग्वालियर

कार्यालयीन गतिविधियों के छायाचित्र

बाराबंकी कार्यालय में अम्बेडकर जयंती मनाते हुए अधिकारीगण

नारकोटिक्स आयुक्त महोदय, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त लखनऊ का निरीक्षण करते हुए

15 अगस्त 2021 पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में माननीय नारकोटिक्स आयुक्त, उप.नार.आयुक्त एवं सहा. नार. आयुक्त के साथ।

15 अगस्त 2021 को श्रीमती शालिनी दुबे को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए माननीय आयुक्त महोदय

26 जनवरी 2021 नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर नीमच कार्यालय के अधिकारी गण शपथ लेते हुए।

भारतीय राजस्व सेवा के प्रोबेशनर अधिकारीगण नारकोटिक्स आयुक्त महोदय से मुलाकात करते हुए।

जो अकेले चलते है, वे तेजी से बढ़ते हैं – नैपोलियन

कार्यालयीन गतिविधियों के छायाचित्र

भारतीय राजस्व सेवा के प्रोबेशनर अधिकारीगणों से चर्चा करते हुए माननीय नारकोटिक्स महोदय।

भारतीय राजस्व सेवा के प्रोबेशनर अधिकारीगणों के साथ समूह चित्र

भारतीय राजस्व सेवा के प्रोबेशनर अधिकारीगणों को सम्बोधित करते हुए माननीय आयुक्त महोदय

15 अगस्त 2021, ध्वजारोहण स्थल पर उपस्थित माननीय नारकोटिक्स आयुक्त एंव उप नारकोटिक्स आयुक्त

26 जनवरी के अवसर पर डीएनसी कार्यालय कोटा में ध्वजारोहण करते हुए माननीय उप नारकोटिक्स आयुक्त

मुख्यालय ग्वालियर में 15 अगस्त 2021, परेड

कार्यालयीन गतिविधियों के छायाचित्र

26 जनवरी के अवसर पर पुरस्कार वितरण करते हुए माननीय सहायक नारकोटिक्स आयुक्तगण

26 जनवरी के अवसर पर आयोजित खेल-कूद प्रतियोगिता

15 अगस्त 2021, मुख्यालय ग्वालियर के समस्त स्टाफ के साथ माननीय नारकोटिक्स आयुक्त

15 अगस्त 2021 के अवसर पर बच्चों को पुरस्कार देते हुए माननीय नारकोटिक्स आयुक्त

15 अगस्त 2021 के अवसर पर बच्चों को पुरस्कार देते हुए माननीय नारकोटिक्स आयुक्त

15 अगस्त 2021, पौधारोपण करते हुए माननीय सहायक नारकोटिक्स आयुक्त

अनुशासन किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता, अपितु आत्म अनुशासन लाया जाता है - अटल बिहारी बाजपेयी

कार्यालयीन गतिविधियों के छायाचित्र

15 अगस्त 2021, वृक्षारोपण करते हुए
मा. नारकोटिक्स आयुक्त एवं मा. उप नारकोटिक्स आयुक्त

15 अगस्त 2021 पर आयोजित
म्यूज़िकल चेयर प्रतियोगिता

15 अगस्त 2021, स्वतंत्रता दिवस पर
व्याख्यान देते हुए प्रतियोगी

15 अगस्त 2021 पर
समस्य अधिकारियों एवं परिजनों का समूह चित्र

15 अगस्त 2021, मुख्यालय ग्वालियर में उद्घाटित लाइब्रेरी का निरीक्षण करते हुए मान. आयुक्त के साथ अन्य अधिकारीगण

मुख्यालय ग्वालियर में 15 अगस्त 2021, ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित अधिकारियों के परिजन एवं बच्चे

कार्यालयीन गतिविधियों के छायाचित्र

15 अगस्त 2021, ध्वजारोहण करते हुए
माननीय नारकोटिक्स आयुक्त

15 अगस्त 2021 पर आयोजित परेड पर
निरीक्षण करते हुए माननीय नारकोटिक्स आयुक्त

15 अगस्त 2021, ध्वजारोहण स्थल पर उपस्थित
कार्यालयीन स्टाफ, सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण

26 जून 2021 नशा मुक्ति दिवस पर
वृक्षारोपण करते हुए आयुक्त महोदय अन्य अधिकारियों के साथ

26 जून 2021 नशा मुक्ति दिवस पर
कोटा कार्यालय में अधिकारीगण पैदल मार्च करते हुए

14 अप्रैल 2022, अम्बेडकर जयंती समारोह में
कोटा के उप नारकोटिक्स आयुक्त अन्य अधिकारीगणों के साथ

असफलता वह मसाला है जो सफलता का स्वाद देता है

कार्यालय डायरेक्ट्री

ईकाई	कार्यालय/अनुभाग/अधिकारी	टेलीफोन संख्या/ ईपीबीएक्स एक्स्टेंशन नं.	ई-मेल आई डी
मुख्यालय नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर	नारकोटिक्स आयुक्त	0751-2368121 (कार्यालय), 4045221 0751-2368120 (आवास)	narcommr@cbn.nic.in
	उप नारकोटिक्स आयुक्त	0751-4093441/208	
	सहायक नारकोटिक्स आयुक्त	0751-4098441/210	
	सहायक नारकोटिक्स आयुक्त (टेक्निकल)	0751-2669440	
	सहायक नारकोटिक्स आयुक्त (मुख्यालय)	0751-2368258 (कार्यालय) 0751-2462031 (आवास)	
	नियंत्रण कक्ष	0751-2369439/2368996/201	
	स्थापना अनुभाग	0751-4092441/254,255	supdt-estt@cbn.nic.in
	सर्तकता अनुभाग	252, 253	supdt-vigil@cbn.nic.in
	प्रशासन अनुभाग	228/266	ao-gwalior@cbn.nic.in
	टेक्निकल अनुभाग	237/225/242	supdt-tech@cbn.nic.in
	नारकोटिक्स अनुभाग	246, 247	supdt-narco@cbn.nic.in
	ऑनलाइन अनुभाग	240	supdt-online@cbn.nic.in
	निवारक अनुभाग	234, 235, 236	supdt-prev@cbn.nic.in
	अफीम अनुभाग	0751-4045491/223/236	skverma@cbn.nic.in/
	लेखा अनुभाग	257, 258	supdt-acctts@cbn.nic.in
	प्रिर्कसर अनुभाग	238	supdt-precursor@cbn.nic.in
	हिन्दी अनुभाग	220	supdt-narco@cbn.nic.in
	सूचना का अधिकार अनुभाग	225	
	कार्यालय निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, नई दिल्ली	011-25591216, 011-25591215	
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, लखनऊ	उप नारकोटिक्स आयुक्त	0522-2323150	dnc-lucknow@cbn.nic.in
	अधीक्षक (निवारक)	0522-2323170	
	जिला अफीम अधिकारी, बाराबंकी	05248-224812	doo-barabanki@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, बाराबंकी	05248-224812	doo-barabanki@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, बरेली	0581-2510761	
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, गाजीपुर	0548-2221195	supdt-ghazipur@cbn.nic.in
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, मध्य प्रदेश	उप नारकोटिक्स आयुक्त	07423-220238 (कार्यालय) 07423-220237 (आवास) 07423-220077 (आवास)	dnc-neemuch@cbn.nic.in
	सहायक नारकोटिक्स आयुक्त	07423-224763 (कार्यालय) 07423-220629 (आवास)	
	जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम	07423-228003	doo-neemuch1@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, नीमच द्वितीय	07423-228004	doo-neemuch2@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, नीमच तृतीय		doo2-neemuch@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर प्रथम	07422-241963	doo-mandsaur1@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर द्वितीय	07422-241114	doo-mandsaur2@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर तृतीय	07422-241143	doo-mandsaur3@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, जावरा प्रथम	07414-230411	doo-jaora1@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, जावरा द्वितीय	07414-230811	doo-jaora2@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, गरोठ	07425-238073	doo-garoth@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, गरोठ	07425-238173	supdt-garoth@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, मन्दसौर	07422-224884	supdt-mandsaur@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, रतलाम	07412-292689	supdt-ratlam@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, इन्दौर	0731-2923200	supdt-indore@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, सिंगोली	07420-251299	supdt-singoli@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, उज्जैन	0734-2533353	supdt-ujjain@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, जावरा	07414-230791	supdt-jaora@cbn.nic.in
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, राजस्थान	उप नारकोटिक्स आयुक्त	0744-2438929	dnc-kota@cbn.nic.in
	सहायक नारकोटिक्स आयुक्त	0744-2438923	
	जिला अफीम अधिकारी, कोटा	0744-2438935	doo-kota@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, झालावाड़	07432-232311	doo-jhalawar@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, भीलवाड़ा	01482-234522	doo-bhilwara@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रथम	01472-240958	doo-chittorgarh1@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वितीय		doo-chittorgarh2@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ तृतीय	01472-249363	doo-chittorgarh3@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ़ प्रथम	01478-222079	doo-pratapgarh@cbn.nic.in
	जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वितीय	01478-222079	doo-pratapgarh2@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, प्रतापगढ़	01478-223182	supdt-pratapgarh@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, जयपुर	0141-2207764	supdt-jaipur@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, उदयपुर	0294-2463043	supdt-udaipur@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, भवानीमण्डी	07433-223394	supdt-bhawani@cbn.nic.in
	निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, चित्तौडगढ़	01472-250150	supdt-chittor@cbn.nic.in

कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर